न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेमेतरा, जिला–बेमेतरा

/ /ज्ञापन/ /

क्रमांक / 685 / प्र.1. / अ.वि.अ. / 2026 बेमेतरा, दिनांक 27.03.2026

प्रति,

दिलीप साहू पिता शंकरलाल साहू,
निवासी ग्राम खम्हरिया पोस्ट मऊ थाना चंदनू,
तहसील व जिला बेमेतरा

विषयः– वृक्ष कटवाने की अनुमति प्रदान करने बाबत्।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत आवेदक व उनके परिवार के नाम पर ग्राम खम्हरिया प.ह.नं. 45 तह. व जिला बेमेतरा में कुल ख.नं. 06 का कुल रकबा 0. 71 हे. भूमि राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है जिस पर वे अपना कास्तकारी करते है। उनके स्वामित्व के ख.नं. 170 रकबा 0.25 हे. भूमि पर ईमारती लकड़ी सैगोन का कुल 03 नग वृक्ष स्थित है उक्त वृक्ष की वजह से उन्हें फसल लेने में काफी असुविधा उत्पन्न हो रही है तथा उक्त सभी वृक्ष पूरी तरह से सूख गये है तथा गर्मी के सीजन में व ग्राम में किसानो द्वारा अपने फसल अवशेष जलाने की वजह से कभी भी आग लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त आवेदन पर विचार करते हुए उपरोक्त वृक्षो को काटे जाने की अनुमति प्रदान किये जाने बाबत् आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं वन विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम खम्हरिया तहसील व जिला बेमेतरा स्थित खसरा नं. 170 रकबा 0.25 हे. (कुल 03 नग) सैगौन वृक्षों को राजस्व एवं आंपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर क्रमांक 61 / दिनांक 11 फरवरी 2022 के अनुसार क्रमांक एक 4–34 / सात–1 / 2021, छ.ग.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 258 की उपधारा–2 के खण्ड 61 एवं 62 सहपठित धारा 240 एवं 241 के अनुसार काटने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
बेमेतरा,जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 686 / प्र.1 / अ.वि.अ. / 2026 बेमेतरा, दिनांक 27/03/2026

प्रतिलिपिः–

1. वनपरिक्षेत्र अधिकारी बेमेतरा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। उक्त वृक्षों को कटाने की कार्यवाही संपन्न कराने एवं कटे हुए वृक्षों को अपने विभाग के संरक्षण में रखें।
2. संबंधित राजस्व निरीक्षक की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित। मौके पर आपके स्वयं की उपस्थिति में वृक्ष कटाई की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. आवेदक को जितने वृक्षों की कटाई की अनुमति प्रदान की जा रही है उतने ही वृक्ष अपने ग्राम में शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण करने की कार्यवाही करेंगे, इसी शर्त पर अनुमति प्रदान की जाती है।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
बेमेतरा,जिला-बेमेतरा(छ.ग.)